तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 116/2019 पार्वती बनाम दयानन्द वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2021	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आज वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 22 नियम 4 सीपीसी व सैक्सन 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 बाबत करवाने संसोधन तनकीयात पर निर्णय किया जाना है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 4 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 का जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीया को दी जाकर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 दयानंद की मृत्यु दिनांक 01.07.2018 को बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी दिनांक 19.02.2020 को प्रस्तुत किया है । वादी पक्ष ने झुठे तथ्य दर्ज किये हैं यह भी गलत है कि श्रीमती पार्वती ने दिनांक 15.08.2018 को वादिया संख्या 2 व 3 को जानकारी दी है। उक्त मृतक दयानंद वादीया का भाई है। उसकी मृत्यु दिनांक 01.07.2018 को ही हो चुकी थी जिस पर वादीयागण उसके घर बैठने के लिए गई थी। मृत्यु की जानकारी के बावजूद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अब बिना उचित देरी का कारण बताते हुए केवल मात्र देरी माफ करने के लिए झुठे तथ्य दर्ज किये हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश नहीं करने के कारण दावा अवेट हो गया है इस कारण दफा 5 मियाद कानून का फायदा दिया जाना उचित व न्यायोचित नहीं है तथा वादीयागण का दावा अवेट किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा बहस के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की गई हैं :– 1. Air 1987 Calcutta 58 2. Air 1988 Patna 147 वकील वादीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 दयानंद की मृत्यु दिनांक 01.07.2018 को हो गई थी। मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्ध में उक्त उनवानी दावा हाजा का उपसमन भी को चुका है। जिसको भी रद्द किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है क्योंकि पूर्व में वादीगण को उक्त मृतक दयानंद के इंतकाल की जानकारी नहीं थी अब जानकारी होने पर वादीगण ने दरख्वास्त कायम मुकाम शीघ्रता शीघ्र प्रस्तुत कर दी है इसलिये प्रार्थीगण की दरख्वास्त कायम मुकाम जानकारी के रोज से अन्दर मियाद पेश की गई है फिर भी किसी वजह से अगर श्रीमान जी प्रार्थीगण की इस दरख्वास्त को अन्दर मियाद नहीं मानते तो उक्त सूरत में वादीगण को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का फायदा दिया जाकर अन्दर मियाद सुमार किया जाने का निवेदन किया है। मैनें दावा व उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र तथा अधिवक्तागण की बहस का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। आदेश 22 नियम 4 व 9 जा0दी0 में उल्लेखित प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वकील वादीया द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया है कि दरख्वास्त कायम मुकाम दिनांक 12.09.2018 को चलाना नहीं चाहता है। विधि में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को वादी पक्ष द्वारा रिकार्ड पर लेने की मियाद भारतीय मियाद	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (...) झुंझुनू (राज.)

अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत मृत्यु की तारीख से मियाद 90 दिन है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उपसमन पक्षकार की मृत्यु के 90 दिन पश्चात स्वतः होता है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूदा साक्ष्य से यह साबित है कि प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु की तारीख के अन्दर मियाद 90 दिन कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है। वादी पक्ष को प्रतिवादी नम्बर 1 की मृत्यु की जानकारी नहीं हो यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दावा की प्लीडिंग में वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 की बहिनें है जो प्रतिवादी पक्ष ने अपने जबाव दरख्वास्त कायम मुकाम में भी अंकित किया है। मियाद अधिनियम 1963 के नियम 121 के मुताबिक उपसमन अपास्त करवाने की मियाद 60 दिन है। उपसमन अपास्त करवाने का कोई प्रार्थना पत्र वादीगण की तरफ से प्रस्तुत नहीं हुआ तथा ना ही इस संबध में वादीगण द्वारा कोई निवेदन किया गया है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मुताबिक व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को अन्दर मियाद रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने पर उपसमन हो चुका है और दावा की प्लीडिंग के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान की अनुपस्थिति में वादी पक्ष द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। दावा की प्लीडिंग के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान दावा में आवश्यक व परोपर पक्षकार हैं और उपरोक्त पक्षकारों की अनुपस्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है। इस कारण अबेटमेंट के आधार पर संपूर्ण दावा खारिज होने योग्य है। अतः वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 होने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है और वादीगण के दावा उपसमन (अबेटमेंट) हो जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा0दी0 का वाद वादीया अबेटमेंट होने के फलस्वरूप स्वतः ही सारहीन होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर है। आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर
एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) झुंझुनू (राज.)